प्रेसनोट दिनांक 31.12.2024
जनपद बरेली।
वर्ष 2024 के दौरान जनपद बरेली पुलिस द्वारा की गयी प्रमुख कार्यवाहियों के संबंध में।

बरेली पुलिस द्वारा वर्ष 2024 में नागरिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। इस दौरान अपराधियों के विरुद्ध बरेली पुलिस के द्वारा लगातार कठोर कारवाही सुनिश्चित की गई। नीचे वर्ष 2024 के दौरान किए गए प्रमुख कार्यों का विवरण प्रस्तुत है-

जब वर्ष 2024 के अपराध के आंकड़े और पिछले तीन साल की तुलना की गयी तो यह पाया गया कि हत्या के प्रकरणों में 15% (66 मुकदमे) की, लूट के प्रकरणों में लगभग 65% (9 मुकदमे) की, अन्य चोरी के प्रकरणों में 31% (362 मुकदमे) की, गैर इरातन हत्या के प्रकरण में 50% (12 मुकदमे) की, हत्या के प्रयास में 10% (133 मुकदमे) की और महिला संबंधी अपराध में हत्या के प्रकरणों में 15% (22 मुकदमे) की कमी विगत तीन वर्षों की तुलना में आई है।

इसके पीछे जो अपराधियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा कारवाई की गई है, उसके कारण विद्यमान है, जिसमें पुलिस मुठभेड, लगभग 45 पुलिस मुठभेड़ पुलिस के द्वारा इस दौरान की गई, जिसमें 54 अपराधी घायल हुए हैं, जिसमें से 49 अपराधी लगभग पिछले 6 महीने के दौरान घायल हुए हैं। इसमें 15 पुरस्कार घोषित अपराधी भी शामिल है जो पुलिस की कार्यवाही के दौरान घायल हुए। इसके साथ-साथ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 12 प्रकरणों में 78 अपराधियों के विरुद्ध कारवाई की गई है। 14 ए गैंगस्टर एक्ट में लगभग 4 करोड़ 27 लाख 50 हजार की प्रॉपर्टी पुलिस के द्वारा 14 ए गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई है।

गुंडा एक्ट में 194 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की एफआईआर पंजीकृत की गई और 58 ऐसे अपराधी जिनका अच्छा अपराधिक इतिहास था, उनको जिला बदर किया गया है।

आबकारी अधिनियम में 802 अभियुक्तों के विरुद्ध 733 मुकदमें पंजीकृत किए गए और लगभग 17300 लीटर शराब बरामद की गई, जिसका मूल्य लगभग 8 करोड़ 94 लाख के आसपास है।

इसी के साथ-साथ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 169 मुकदमे पंजीकृत किए गए। 319 अपराधी जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लगभग 84 किलो गांजा, 19 किलो चरस, 73 किलो अफीम और 15 किलो स्मैक के साथ-साथ अन्य मादक पदार्थ भी बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 19 करोड़ 78 लाख 12 हजार के मूल्य की कीमत थी।

शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत इसी प्रकार से 506 मुकदमे पंजीकृत किए गए और 605 अपराधियों को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लगभग 393 तमंचे, एक एसपीबीएल बंदूक, तीन राइफल, सात पिस्टल और अवैध शस्त्र व 588 की संख्या में कारतूस बरामद हुए।

जुआ अधिनियम के अंतर्गत लगातार पुलिस के द्वारा कारवाई की गई। इसमें 296 मुकदमे पंजीकृत करते हुए 785 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 11 लाख 40 हजार 960 रुपये की धनराशि ऐसी रेड्स में पुलिस के द्वारा बरामद की गई।

अपराधियों की निगरानी के लिए 53 नयी हिस्ट्रीशीट खोली गई। थाना शाही क्षेत्रांतर्गत गौसगंज की घटना से संबंधित एक अपराधी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये निरुद्ध किया गया। 35 कुल पुरस्कार घोषित अपराधी इस दौरान गिरफ्तार हुए हैं।

इसी प्रकार गैंग पंजीकरण की कारवाई के अन्तर्गत 34 गैंग्स का गैंग पंजीकरण किया गया है, इनके 178 सदस्य हैं, जिनको इस पंजीकरण की परिधि में लाया गया है।

आबकारी अधिनियम और गौकशी में शामिल 15 वाहन जब्त किए गए हैं। इन दोनों अधिनियमों के अंतर्गत अच्छा कार्य करने वाले 478 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत कर प्रशस्ति पत्र दिया गया है।

जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती गई है या जिनके ऊपर अलग-अलग तरह के आरोप प्रमाणित हुए हैं, तो ऐसे 99 पुलिसकर्मियों को इस दौरान निलंबित किया गया है।

यह पूरी कार्यवाही पुलिस के दौरान वर्ष 2024 में की गई है। वर्ष 2025 में और कठोर कार्यवाही अपराधियों के विरुद्ध सुनिश्चित की जायेगी।बरेली पुलिस द्वारा पब्लिक फ्रेण्डली पुलिसिंग और अपराधियों के साथ नो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुये कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी साथ ही लगातार जनता की सेवा के लिये, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये, अपराध पर नियंत्रण एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिये बरेली पुलिस प्रतिबद्ध है।